



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05092022-238600
CG-DL-E-05092022-238600

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 64]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 5, 2022/भाद्र 14, 1944

No. 64]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 5, 2022/BHADRA 14, 1944

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2022

आ.अ. 64(अ).—यतः, त्रिपुरा राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा में निर्वाचित डॉ. माणिक साहा का स्थान जिनकी पदावधि 02.04.2028 सहित उस तारीख तक थी के समाप्त होने से पूर्व त्यागपत्र देने के कारण 04.07.2022 से रिक्त हो गया है; और

यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराना है;।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 147, धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा-

(अ) त्रिपुरा राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे 26 सितम्बर, 2022 से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में:-

(क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख – 12 सितम्बर, 2022 (सोमवार);

(ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख – 13 सितम्बर, 2022 (मंगलवार);

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख – 15 सितम्बर, 2022 (गुरुवार);

- (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा – 22 सितम्बर, 2022 (गुरुवार); और
- (ङ.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा – 26 सितम्बर, 2022 (सोमवार); नियत करता है; और
- (इ) 09:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो, विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

[फा. सं.- 100/रा.स.-त्रिपुरा/02/2022(1)]

आदेश से,

सुमन कुमार दास, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2022

O.N. 64(E).—WHEREAS, the seat of Dr. Manik Saha, in the Council of States, elected by the elected members of the Legislative Assembly of Tripura, has become vacant on 04.07.2022 by the reason of his resignation, before the expiration of his term of office which was up to and including 02.04.2028; and

WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 147, sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

- (A) **calls upon** the elected members of the Legislative Assembly of Tripura to elect, before 26th September, 2022 and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Council of States;
- (B) **appoints**, with respect to the said election;
- the 12th September, 2022 (Monday), as the last date for making nominations;
 - the 13th September, 2022 (Tuesday), as the date for the scrutiny of the nominations;
 - the 15th September, 2022 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - the 22nd September, 2022 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
 - the 26th September, 2022 (Monday), as the date before which the election shall be completed; and
- (C) **fixes the hours** from 09:00 am to 04:00 pm, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

[F. No.100/CS-Tripura/02/2022(1)]

By Order,

SUMAN KUMAR DAS, Secy.